संख्या-34/2022/118/23-10-22-11(सा0)/2021

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ दिनांक 09 मार्च,2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद बुलन्दशहर के 02 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग) लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-32/सामान्य-सेतु-31/2021-22 दिनांक 05.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद बुलन्दशहर के 02 चालू सेतु कार्यों हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-11 में अंकित कुल रू0 136.99 लाख (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख निन्यानबें हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/ शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	कुल लागत	लोनिवि अंश	अनुबन्ध गठन से हुई बचत	अब तक अबांटन (लोनिवि)	वित्त विभाग पत्रांक-3 दि0 22-03-21 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आवंटित धनराशि की फॉट (सेतु निगम)		
								अनु0-57	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	बुलन्दशहर	नि0ख0 खुर्जा	जनपद बुलन्दशहर में खुर्जा-जेवर मार्ग(प्रमुख जिला मार्ग-70) के चैनेज सं0-1.450 में नाले पर (3X 5.00 मी0) स्पान का लघु सेतु व पहुंच मार्ग का पुनः निर्माण कार्य	153.24	153.24	0.00	7.66	57.35	15.44	72.79
02	बुलन्दशहर	नि0ख0 खुर्जा	जनपद बुलन्दशहर में खुर्जा-जेवर मार्ग(प्रमुख जिला मार्ग-70) के चैनेज सं0-9.800 में करो नदी पर (2 X 5.00 मी0) स्पान का लघु सेतु व पहुंच मार्ग का पुनः निर्माण कार्य	135.16	135.16	0.00	6.76	50.58	13.62	64.20
				288.40	**288.40**	**0.0**	**14.42**	**107.93**	**29.06**	**136.99**

अवमुक्त धनराशि रू0 136.99 लाख (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख निन्यानबें हजार मात्र)

(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

(2) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।

2- उक्त सेतुओं पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-04-सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)-0421-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-14-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021-बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनॉक 22 मार्च 2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-34/2022/118(1) /23-10-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) संबंधित मण्डलायुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी ।
(3) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(4) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(5) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2@गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।